

प्रपत्र-20
(देखें नियम-15 उप नियम-(1))
अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....की भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।
राजस्व ग्राम..... राजस्व थाना संख्या..... पुलिस थाना..... अंचल..... जिला..

अभियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रेयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित करने के मामले में हिस्सानुसार रेयतों का नाम), पिता का नाम, जाति एवं आवास	खेसरा नं०	रकबा ए० डी०	चौकदी	भूमि का वर्गीकरण	फल के अधीन खेती योग्य भूमि			सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार) सहित		
							मदई	अगाहनी	रब्बी अन्य				
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अंतिम अधिकार अभिलेख (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान अंतिम अधिकार अभिलेख का परिशीलन कर लिया जाय।
दिनांक:-

जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मुहर